

1  
**227**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL  
ZONAL BENCH, BHOPAL (MP)

IN THE MATTER OF:  
EA No. 02/2020 in OA NO. 88/2015

BABULAL JAJOO

.....APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF RAJASTHAN & ORS

.....RESPONDENTS

INDEX

Sr. No.	Particulars	Annexure	Pg Nos.
1	Affidavit by Commissioner, Municipal Council Bhilwara in compliance of order dated 20.01.2022		2-4
2	List of Documents		5
3	Vakalatnama		15

Place :: Bhopal


Date :: 02.02.2022




Rohit Sharma

Counsel for the Municipal Council Bhilwara



  
आयुक्त  
नगर परिषद, भीलवाड़ा

SIGNATURE ATTESTED

  
AJAY PAL SANADHYA  
Advocate & Notary Public  
BHLWARA (Raj)

22 FEB 2022

228

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
ZONAL BENCH, BHOPAL (MP)

IN THE MATTER OF:  
EA No. 02/2020 in OA NO. 88/2015

BABULAL JAJOO

.....APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF RAJASTHAN &amp; ORS

.....RESPONDENTS

AFFIDAVIT BY COMMISSIONER, MUNICIPAL COUNCIL BHILWARA  
IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.01.2022

I, Durga Kumari W/o Shri G C Arya, aged about 40 years, currently posted as Municipal Commissioner, Bhilwara, Rajasthan having office at Nagar Parishad, Bhilwara, Rajasthan, do hereby solemnly affirm on oath as under:

That I am the Commissioner, Municipal Council Bhilwara in the present original application and fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.

That the Hon'ble Tribunal vide order dated 20.01.2022 directed the answering Deponent to provide 30 feet wide road and after identification, demarcation of the proposed road in question be done within 7 days.

3. That in compliance of the orders passed by the Hon'ble Tribunal M/s Jindal Saw Ltd was allotted a land for new STP and an agreement in this respect has already been executed in past. The copy of

आयुक्त  
नगर परिषद, भीलवाड़ा

SIGNATURE ATTESTED

Ajay Pal Sanadhya  
Advocate & Notary Public  
BHILWARA (Raj)

E2 FEB 2022



SN-792

P.N-181

Agreement which is marked and annexed herewith as

Annexure A/1.

4. That the only dispute which was pending adjudication was regarding identification, allotment and demarcation of the approach road and vide order dated 19.01.2022 an official order was already passed by way of which the proposed approach road in question was allotted in favour of M/s Jindal Saw Ltd. The copy of order dated 19.01.2022 is marked and annexed herewith as

Annexure A/2.

5. That pursuant to the above order of 19.01.2022 the M/s Jindal Saw Ltd has already given their consent letter dated 26.11.2021 & 27.11.2021, the copy of which is collectively marked and annexed herewith

Annexure A/3 (Colly).

6. That prior to the passage of previous order 20.01.2022, the answering deponent had already issued an order dated 19.01.2022 and the said order had been issued after the request letters/consent letters being issued by the Project Proponent i.e., M/s Jindal Saw Ltd and this above order of 19.01.2022 have been issued after the Mocka Panchnama being prepared in presence of the Project Proponent by the answering Deponent.
7. That a Google Satellite Map is being annexed herewith as Annexure A/4 for the kind convenience of the Hon'ble Tribunal so as to depict the actual situation where the proposed road has been allotted

आयुक्त  
नगर परिषद, भीलवाड़ा


SIGNATURE ATTESTED

A. P. S.  
AJAY PAL SANADHYA  
Advocate & Notary Public  
BHILWARA (Raj.)

2 FEB 2022

in favour of M/s Jindal Saw Ltd. and over which area the STP would be established by the M/s Jindal saw Ltd.

8. That in terms of the previous order passed by the Hon'ble Tribunal, the necessary compliance has already been done on part of the answering Deponent and any bonafide mistake or error occurred at the behest of the answering Deponent may be forgiven in the interest of justice.
9. That the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no material fact is concealed or suppressed and the answering Deponent avers that the contents of the affidavit have been drafted on basis of the documents attached along with the affidavit.


  
DEPONENT  
जयपाल  
नगर परिषद, भीलवाड़ा


VERIFICATION

I, the above named Deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct and no material fact is concealed or suppressed.


Signed and verified on this 2<sup>nd</sup> Day of Feb 2022 at Bhilwara.

Deponent Sworn and Signature before me and Admitted the Contents to be True Hence Attested

  
DEPONENT  
नगर परिषद, भीलवाड़ा

  
AJAY PAL SANADHYA  
Advocate & Notary Public  
BHILWARA (Raj.)

2 FEB 2022



5  
231

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL  
ZONAL BENCH, BHOPAL (MP)

IN THE MATTER OF:  
EA No. 02/2020 in OA NO. 88/2015

BABULAL JAJOO

—APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF RAJASTHAN & ORS

—RESPONDENTS

LIST OF DOCUMENTS

Sr. No.	Particulars	Annexure	Pg Nos.
1	Copy of Agreement executed between Jindal Saw and Municipal Council Bhilwara	A/1	
2	Order dated 19.01.2022	A/2	
3	Letters dated 26.11.2021 & 27.11.2021 issued by Jindal Saw	A/3	
3	Google Satellite Map depicting the entire area	A/4	

Place :: Bhopal

Date :: 02.02.2022



Rohit Sharma

Counsel Municipal Council Bhilwara



सिद्धि  
सप्त सचिव/नियंत्रक

SIGNATURE ATTESTED  
APR 2 FEB 2022

A/1



G 039088

IN RAJASTHAN

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत  
 स्टाम्प शक्ति पर प्रभारिता अधिनियम  
 1- आधारभूत अवसरचना सुविधाओं हेतु  
 (धारा 3-क) 10% रुपये 50/-  
 2- गाय और उत्तरी पत्तों के संरक्षण और संयंत्र हेतु  
 (धारा 3-ख) 10% रुपये 50/-  
 हस्ताक्षर स्टाम्प देखकर कल योग 100/-

अनुबन्धपत्र

नगर परिषद, भीलवाड़ा जरिये आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा।

प्रथमपक्ष

मै0 जिन्दल सॉ लिमिटेड, भीलवाड़ा जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री राजेन्द्र गौड़ आत्मज स्व. जी.पी. गौड़, उम्र-52 वर्ष, निवासी- आराजी नं. 9897/6711, तिरंगा पहाड़ी के पास, ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज0।

द्वितीयपक्ष

और चूंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (N.G.T.), सेन्ट्रल जोन, भोपाल के प्रकरण संख्या 88/2015 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक भूमि/एफ. 7(ड)(435)/डीएलबी/16/4951 दिनांक 08.05.2017 द्वारा ग्राम कुवाड़ा की आराजी नं. 338 में से 8 बीघा

Dr. Jindal SAW Ltd.  
 Rajender Gaur  
 Authorised Signatory

समाप्ति  
 नगर परिषद की नवाड़ा

2/10  
 आयुक्त  
 नगर परिषद, भीलवाड़ा

(मीटर) भूमि सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (STP) स्थापित करने हेतु भूमि का निःशुल्क आवंटन मै० जिन्दल लिमिटेड को 30 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तथा उक्त आदेश के अनुक्रम में नगर परिषद, भीलवाड़ा ने आदेश क्रमांक नपमी/राजस्व/2017/4424 दिनांक 20.05.2017 से मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड को भूमि के निःशुल्क आवंटन का आदेश प्रसारित की गई है। आवंटित भूमि का कब्जा मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड को दिनांक 26.5.17 को सिपुर्द किया जा चुका है। प्रथमपक्षकार द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2017 प्रति माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन, भोपाल में दिनांक 23.05.2017 को प्रस्तुत किया गया है, निर्णित शर्तें निम्नानुसार है जिन्हें पक्षकारान स्वीकार करते है :-

∴ मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड, भीलवाड़ा को खसरा नं. 338 में से 8 बीघा भूमि 30 वर्षीय लीज पर निःशुल्क दी जाती है।

भूमि का स्वामित्व नगर परिषद, भीलवाड़ा का ही रहेगा। भूमि मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड, भीलवाड़ा को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड उक्त भूमि पर 10 एम.एल.डी. क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित करेगी एवं प्लांट स्थापित करने हेतु सभी प्रकार की वांछित स्वीकृतियां मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा प्राप्त की जायेगी। इस संबंध में सभी प्रकार के शुल्क इत्यादि भी मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा भुगतान किये जायेंगे।

आगामी 30 वर्षों तक उक्त प्लांट का रखरखाव एवं अन्य खर्च मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा वहन किये जायेंगे तथा मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड पानी के ट्रीटमेन्ट में मानक स्तर को मेन्टेन करते हुए इस पानी को प्रयोग में ला सकेगी।

30 वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त भूमि मय प्लांट नगर परिषद, भीलवाड़ा में स्वतः निहित हो जायेगी तथा मै० जिन्दल सॉ लिमिटेड का कोई आधिपत्य नहीं होगा।

के साक्ष्य स्वरूप पक्षकारान ने आज दिनांक 04 माह ~~मई~~ <sup>जून</sup> सन् 2017 को भीलवाड़ा नगर में इस पद, सुन, समझकर, स्वैच्छा से निम्न साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर माननीय राष्ट्रीय हरित भोपाल के निर्णय दिनांक 23.05.2017 की पालना में निष्पादित कर दिया है, सो सनद रहे।

भीलवाड़ा-राज०

For Jindal SAW Ltd.

(Rajendra Gaur)  
Authorised Signatory  
राजेन्द्र गौड़

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

सभापति  
नगर परिषद, भीलवाड़ा

आयुक्त  
नगर परिषद, भीलवाड़ा  
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

# कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक : नपभी / राजस्व / 2022 /

18 278

दिनांक : 19.01.22

## —:: आदेश ::—

ग्राम कुंवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 338/2 में से मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड को 08 बीघा एस.टी.पी. हेतु आवंटित भूमि तक जाने के लिये 30'-0" चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराने बाबत मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड मांग पत्र प्रस्तुत किया तथा पूर्व में भी इस बाबत समय-समय पर मांग की जाती रही है। जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद के अधिकारियों एवं मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 25.11.2021 को ग्राम कुंवाड़ा स्थित आराजी संख्या 338/2 प्रस्तावित एस.टी.पी की भूमि पर जाने के रास्ते हेतु सभी सम्भावित जगह का निरीक्षण किया गया तथा पूर्व में मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड की गयी मांग अनुसार कोटा रोड़ एवं कुंवाड़ा रोड़ से प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि तक पहुंचने हेतु मार्ग स्थल का निरीक्षण करने पर परिषद स्तर के रास्ते हेतु भूमि आवंटन सम्भव नहीं होने से प्रेषित मांग पत्र में अवगत कराये गये अन्य वैकल्पिक मार्ग का भी संयुक्त कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित एस.टी.पी. भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई सुलभ मार्ग उपलब्ध नहीं होने से मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार कुंवाड़ा रोड़ से पूर्व-स्थापित एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा की तरफ संलग्न गूगल प्लान में नवीन प्रस्तावित मार्ग जिसका मौके अनुसार नाप 445'X30' अर्थात् 13350 वर्ग फीट रास्ते की भूमि, प्रस्तावित एस.टी.पी. तक पहुंच मार्ग हेतु उपयुक्त पाया गया। मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा दी गई लिखित सहमति के आधार पर पूर्व में एस.टी.पी. हेतु आपको आवंटित 8 बीघा भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु संलग्न गूगल प्लान में प्रस्तावित रास्ते की भूमि क्षेत्रफल 13350 वर्ग फीट के बराबर भूमि LAND FOR LAND OPTION के तहत आपको आवंटित 8 बीघा भूमि में से दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ कुंवाड़ा रोड़ के पास की तरफ वाली भूमि में से 222'-6"X 60'-0" भूमि समायोजित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। नगर परिषद, भीलवाड़ा एवं जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित एस.टी.पी. तक पहुंच मार्ग हेतु कुंवाड़ा रोड़ से पूर्व स्थापित एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा की तरफ मौके अनुसार नाप 445'X30' अर्थात् 13350 वर्ग फीट भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा। उक्त मार्ग आवागमन हेतु आमजन द्वारा भी उपयोग में लिया जा सकेगा। उक्त गलियारा वर्तमान स्थापित एस.टी.पी. को भविष्य में नगर परिषद को सुपुर्द करने के बाद भी यथावत रहेगा।

नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड को प्रस्तावित 8 बीघा एस.टी.पी. भूमि तक पहुंच मार्ग हेतु 445'X30' भूमि रास्ते हेतु उपलब्ध करवाये जाने की एवज में पूर्व में एस.टी.पी. निर्माण हेतु आपको आवंटित 8 बीघा भूमि में से दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ कुंवाड़ा रोड़ के पास की तरफ वाली भूमि से 222'-6"X60'-0" = 13350 वर्ग फीट भूमि को परिषद भीलवाड़ा को समायोजित करवाने के उपरान्त ही आप द्वारा कुंवाड़ा रोड़ से पूर्व स्थापित एस.टी.पी. की चार दीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा की तरफ 445'X30' भूमि का उपयोग रास्ते हेतु किया जा सकेगा। उक्तानुसार सम्बन्धित अनुबन्धकर्ता मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड को कथित रास्ते का आवंटन निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन कर रास्ते के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिन्दल साँ लिमिटेड को पूर्व में आवंटित भूमि 10 बीघा पर निर्मित एस.टी.पी. प्लान्ट के परिचालन से सम्बन्धित निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 05.10.2011, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार का बैठक कार्यवाही विवरण : एफ55 ( ) अभि./सीई/डीएलबी/2014/जेएसएल/भीलवाड़ा/16171 दिनांक 24.12.2014 एवं नवीन आवंटित भूमि 8 बीघा से सम्बन्धित निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 04.08.2017 में वर्णित शर्तों की पालना अक्षरशः करनी होगी।

2. मैसर्स जिन्दल साँ लिमिटेड को नवीन एस.टी.पी. प्लान्ट के परिचालन के सम्बन्ध में प्रस्तावित अनुबन्ध में वर्णित शर्तों पूर्व में निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 05.10.2011 एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार का बैठक कार्यवाही विवरण : एफ55 ( ) अभि./सीई/डीएलबी/2014/जेएसएल/भीलवाड़ा/16171 दिनांक 24.12.2014 एवं नवीन अनुबन्ध 04.08.2017 में वर्णित शर्तों से कमतर (न्यून) न होगी। नगर परिषद भीलवाड़ा व्यापक जनहित के मददेनजर शर्तों में अभिवृद्धि/परिष्कार/कमी/संशोधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
3. मैसर्स जिन्दल साँ लिमिटेड को नवीन एस.टी.पी. प्लान्ट बाबत नया अनुबन्ध पत्र निर्देशानुसार प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न : गूगल प्लान।

  
आयुक्त  
नगर परिषद, भीलवाड़ा

क्रमांक : नपभी/राजस्व/2022/18279

दिनांक : 19/01/22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज.)।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा।
3. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज.)।
4. प्रबन्धक महोदय, जिन्दल साँ लिमिटेड, ग्राम - कुवाड़ा, भीलवाड़ा (राज.) को प्रेषित मांग पत्र दिनांक 26.11.2021 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि नवीन एस.टी.पी. प्लान्ट हेतु नया अनुबन्ध प्रस्तुत करें।

  
आयुक्त  
नगर परिषद, भीलवाड़ा

JSL/BHL/2021-22/2214

Date: 26.11.2021

सेवामें,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,  
कार्यालय नगर परिषद,  
भीलवाड़ा-राज.

रहस्य

26/11

**विषय**—माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्रामकुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से मैसर्स जिन्दल सॉ लि. को 08 बीघा आवंटित भूमि तक जाने के लिये 30 फीट रास्ते के सम्बन्ध में।

**प्रसंग**—हमारे पत्र दिनांक 26.10.2021 तथा नगर परिषद, भीलवाड़ा के अधिकारियों के साथ किए गए मौका निरीक्षण दिनांक 03.11.2021 एवं 25.11.2021 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से 08 बीघा आवंटित भूमि में प्रस्तावित एस.टी.पी. की स्थापना की जानी है जिस हेतु भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते हेतु निवेदन किया गया था।

इस सन्दर्भ में नगर परिषद के अधिकारियों एवं जिन्दल सॉ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03.11.2021 को मौके का अवलोकन किया गया तत्पश्चात् दिनांक 25.11.2021 को आप स्वयं द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि पर जाने हेतु रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया। रास्ते हेतु सभी सम्भावित जगह देखने तथा विस्तृत चर्चा के उपरान्त कोटा रोड़ एवं कुवाड़ा रोड़ से उक्त भूमि तक पहुंचने की व्यवस्था देखी गई परन्तु दोनों ही स्थानों से रास्ता देना सम्भव नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में कुवाड़ा रोड़ से होते हुए पूर्व-स्थापित एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्तावित एस.टी.पी. तक 30 फीट का गलियारा रास्ते हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।

चूंकि प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई सुलभ मार्ग उपलब्ध नहीं होने से हमारा प्रस्ताव है कि कुवाड़ा रोड़ से एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा खसरा संख्या 338 में होते हुए प्रस्तावित एस.टी.पी. तक 30 फीट चौड़ा गलियारा को रास्ते हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा जो कि भविष्य में



— 2 —


// 2 //

वर्तमान एस.टी.पी. को अनुबन्ध के अनुसार नगर परिषद को सुपुर्द किये जाने के बाद भी उक्त सम्पूर्ण गलियारा का रास्ते हेतु नगर परिषद भीलवाड़ा एव जिन्दल साँ लिमिटेड द्वारा उपयोग में लिया जा सकेगा। इस गलियारे में से नगर परिषद की प्रयुक्त की जाने वाली भूमि जो कि लगभग 445 x 30 अर्थात् 13350 वर्ग फीट होगी, के बराबर भूमि जिन्दल साँ लिमिटेड को आवंटित 8 बीघा भूमि में से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ कोटा रोड के पास की तरफ वाली भूमि से समायोजित किया जाने हेतु हम सहमत है।

अतः इस सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति देते हुए कुवाड़ा रोड से प्रवेश कर वर्तमान में स्थापित एस.टी.पी. से सटमा होते हुए नगर परिषद की समायोजित भूमि से प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि तक पहुंचने के लिए 30 फीट का गलियारा रास्ते हेतु प्रयुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करावे तथा सुनिश्चित करे कि उक्त गलियारा हमेशा नगर परिषद, भीलवाड़ा एव जिन्दल साँ लिमिटेड द्वारा उपयोग में लिया जा सकेगा, जो कि वर्तमान स्थापित एस.टी.पी. को नगर परिषद को सुपुर्द करने के बाद भी सथावत रहेगी।

सधन्यवाद!

कृते जिन्दल साँ लि.



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्न- प्रस्तावित नक्शा।

JSL/BHL/2021-22/2215

Date: 26.11.2021

सेवामें,  
श्रीमान् आयुक्त महोदय,  
कार्यालय नगर परिषद,  
भीलवाड़ा-राज.



राजाव  
27/11

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से मैसर्स जिन्दल सॉ लि. को 08 बीघा आवंटित भूमि तक जाने के लिये 30 फीट रास्ते के सम्बन्ध में।

प्रसंग:—हमारे पत्र दिनांक 26.10.2021 तथा नगर परिषद, भीलवाड़ा के अधिकारियों के साथ किए गए मौका निरीक्षण दिनांक 03.11.2021 एवं 25.11.2021 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से 08 बीघा आवंटित भूमि में प्रस्तावित एस.टी.पी. की स्थापना की जानी है जिस हेतु भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते हेतु निवेदन किया गया था।

इस सन्दर्भ में नगर परिषद के अधिकारियों एवं जिन्दल सॉ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03.11.2021 को मौके का अवलोकन किया गया तत्पश्चात् दिनांक 25.11.2021 को आप स्वयं द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एस. टी.पी. की भूमि पर जाने हेतु रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया। रास्ते हेतु सभी सम्भावित जगह देखने तथा विस्तृत चर्चा के उपरान्त कोटा रोड़ एवं कुवाड़ा रोड़ से उक्त भूमि तक पहुंचने की व्यवस्था देखी गई परन्तु दोनों ही स्थानों से रास्ता देना सम्भव नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में कुवाड़ा रोड़ से होते हुए पूर्व-स्थापित एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर

*Carj*

— 2 —



// 2 //


दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्तावित एस.टी.पी. तक 30 फीट का गलियारा रास्ते हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। चूंकि प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई सुलभ मार्ग उपलब्ध नहीं होने से हमारा प्रस्ताव है कि कुवाड़ा रोड़ से एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा खसरा संख्या 338 में होते हुए प्रस्तावित एस.टी.पी. तक 30 फीट चौड़ा गलियारा को रास्ते हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा जो कि भविष्य में वर्तमान एस.टी.पी. को अनुबन्ध के अनुसार नगर परिषद को सुपुर्द किये जाने के बाद भी उक्त सम्पूर्ण गलियारा का रास्ते हेतु नगर परिषद भीलवाड़ा एवं जिन्दल साँ लिमिटेड द्वारा उपयोग में लिया जा सकेगा। इस गलियारे में से नगर परिषद की प्रयुक्त की जाने वाली भूमि जो कि लगभग 445 x 30 अर्थात् 13350 वर्ग फीट होगी, के बराबर भूमि जिन्दल साँ लिमिटेड को आवंटित 8 बीघा भूमि में से समायोजित किया जाने हेतु हम सहमत हैं।

अतः इस सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति देते हुए कुवाड़ा रोड़ से प्रवेश कर वर्तमान में स्थापित एस.टी.पी. से सटमा होते हुए नगर परिषद की समायोजित भूमि से प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि तक पहुंचने के लिए 30 फीट का गलियारा रास्ते हेतु प्रयुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करावें तथा सुनिश्चित करें कि उक्त गलियारा हमेशा नगर परिषद, भीलवाड़ा एवं जिन्दल साँ लिमिटेड द्वारा उपयोग में लिया जा सकेगा, जो कि वर्तमान स्थापित एस.टी.पी. को नगर परिषद को सुपुर्द करने के बाद भी यथावत रहेगी।

सधन्यवाद!

कृते जिन्दल साँ लि.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Land to be used for access  
(222' x 60')

**For Mndai SAW Ltd.**  
 Authorised Signatory/ies

आयुक्त  
 नगर परिषद, भीलवाड़ा

**VAKALATNAMA**

Before the Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal (MP)

Babulal Sajoo

Case No. EA 2/20 in OA  
88/201

COMPLAINANT/APPLICANT/PETITIONER/PLAINTIFF

//VERSUS//

State of Raj & Ors.


RESPONDENT/DEFENDANT/NON-APPLICANT/ACCUSED

I/we


the Petitioner/Appellant or Respondent/ Non-Applicant named above to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside or *ex parte* orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the Appellate, Revisional or Executing Court in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, petitions, applications, affidavits, or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution/defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/them as if done by me/us :

In witness whereof I/we do hereunto set my/our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/us, this \_\_\_ day of \_\_\_, 2021.

**Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama**

	Name & Father's/ Husband's Name	Registered Address	E-Mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the Case	Full Signature/ Thumb Impression
01.	पारस कुमार जैन आधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, शीलवाड़ा (राज.)			7976585004 8000 269307		 सहायक अभियन्ता नगर परिषद, शीलवाड़ा
02	Tarachand Khetawat, Asst Legal Remembrance, Nagar Parishad, Bhuwana.					

**PARTICULARS OF ADVOCATE ACCEPTING VAKALATNAMA**

Sr. No.	Name and Enrollment	Registered Address	Contact No.	E-mail (if any)	Signature
1.	ROHIT SHARMA CMP/1838/13 E-5/43 ARERA COLONY, BHOPAL (M.P.)			8435256569	
2.					